



UPHR010016592026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित: रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.05728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-742/2026

1. रामदत्त पाल पुत्र बाबू,

2. गुलाबा उर्फ राजपति पत्नी रामदत्त पाल,

सर्व निवासी ग्राम तुलसीपुर मजरा भरावन थाना अतरौली, जिला हरदोई।

-----आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

सरकार----- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक-19.03.2026

1- यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण रामदत्त एवं गुलाबा उर्फ राजपति की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 454/2025, धारा 85, 80(2) बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रति०अधि०, थाना अतरौली, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदकगण/अभियुक्तगण के पैरोकार कीर्ति पाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3- अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश पाल द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसने अपनी पुत्री मनीषा देवी की शादी लवलेश पाल के साथ अपनी तथानुसार दहेज देकर दिनांक 10.02.2022 को किया था। जिसके एक लड़की कु०मान्या है, शादी के बाद से मेरी पुत्री अपनी ससुराल में सुचारु रूप से गुजर बसर करती चली आ रही थी। उसकी दूसरी पुत्री कु०रंजना पाल की शादी तय कर दिया हूँ। अपनी पुत्री रंजना को दहेज के रूप में चार पहिया वाहन देना सुनिश्चित कर दिया हूँ। इसी चक्कर में उक्त लवलेश, रामदत्त, गुलाबा व रूबीपाल सब ने चार पहिया वाहन न मिलने के कारण दिनांक 12.12.2025 को मेरी पुत्री मनीषा देवी को जान से मार कर पंखे पर लटका दिया।

4- आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया कि व s दिनांक 19.12.2025 से जिला कारागार हरदोई में निरुद्ध है। उनके ऊपर जो

भी आरोप लगाये गये हे वह मिथ्या, कल्पित एवं निराधार है उसके द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है वह पूर्णरूप से निर्दोष है। उन्होंने न तो कभी वादी मुकदमा की पुत्री को मारापीटा और न ही कभी कोई दहेज की मांग किया कथित घटना के पूर्व वादी की पुत्री को कभी कोई शिकायत नहीं रही जैसा कि वादी ने स्वयं अपनी तहरीर में कहा है। कथित घटना वाले दिन वे घर पर नहीं थे, आवश्यक कार्य से बाहर गये थे। उनके पुत्र की शादी बिना दहेज के सरकारी समुह द्वारा हुई थी क्योंकि दोनो पक्षो की आर्थिक स्थिति कमजोर थी वादी मुकदमा ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि चार पहिया गाड़ी की मांग करने लगे जो निराधार एवं असत्य है। वादी मुकदमा ने अपनी छोटी पुत्री रंजना की शादी में चार पहिया गाड़ी देने की कोई बात नहीं किया था मात्र उनको फंसाने के लिये उक्त बात लिखायी गयी है। वादी मुकदमा चरित्रहीन व्यक्ति है पहली पत्नी के होने के बावजूद भी अन्य महिला से सम्बन्ध बनाता था इन्ही सभी बातों को लेकर वादी मुकदमा दिनेश व उसके भाई की आपस में बनती नहीं थी। मृतिका मनीषा ने भी अपने पिता को काफी समझाया कि पापा इस उम्र में आपको ऐसा शोभा नहीं देता है जिस पर उसके पिता ने कहा कि हम अपने शरीर के स्वयं मालिक है आप अपना घर देखिये इन्ही सभी बातों को लेकर मृतिका अपने आपसे मानसिक रूप से परेशान रहती थी। घटना के 1 दिन पहले मृतिका ने अपने पिता से फोन किया था और काफी नाराजगी में बात कर रही थी कि तुम ऐसा काम कर रहे हो कि हम लोग भी कही मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मृतिका ने इन्ही सब बातों को लेकर दिनांक 12.12.2025 को परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में कमरे में जाकर अन्दर से कुन्डी बन्द करके फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका के मायके वाले छोटकू (चाचा) भगवती (बाबा) कमला (दादी) एवं गया प्रसाद के सामने कुन्डी खोली गयी थी। उनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। वे सर्वथा निर्दोष व बेकसूर है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5- प्रत्युत्तर में जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा तर्क किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतिका के ससुर व सास है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर मृतिका व वादी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की माँग की और दहेज की माँग को लेकर आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह-अभियुक्त ने मिलकर मृतिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मृतिका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर अस्वाभाविक रूप से फाँसी पर लटकने से हुई है। चिकित्सक द्वारा मृतिका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व फाँसी पर लटकने से उत्पन्न दम घुटने के कारण होना बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6- मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

7- जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से

प्रकट होता है कि प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण नामजद अभियुक्तगण है व मृतका के ससुर व सास है, मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर आसामन्य परिस्थितियों में हुई है। मामला दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है, जो कि आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है।

8- अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण रामदत्त एवं गुलाबा उर्फ राजपति की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 19.03.2026

(रीता कौशिक)

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।